



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082021-228771
CG-DL-E-05082021-228771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2928]
No. 2928]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2021/श्रावण 14, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2021/SHRAVANA 14, 1943

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभार)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2021

का.आ. 3154(अ).—जबकि केंद्र सरकार ने निम्न उल्लिखित क्षेत्र के सम्बन्ध में दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन-ई के क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित संशोधनों को दिल्ली विकास द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 07.01.2021 की सार्वजनिक सूचना सं. का.आ. 60 (ई) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया था ताकि उक्त सूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा आवश्यक आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित किया जा सके।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं किया गया है।

3. जबकि, केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना - 2021/जोन-ई की क्षेत्रीय विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, केंद्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना -2021/जोन-ई की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन:

जोन-ई में आने वाली भूमि के निम्नलिखित क्षेत्र का भूमि उपयोग नीचे सूचीबद्ध विवरण के अनुसार परिवर्तित किया गया है:

अवस्थिति	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	दिल्ली मुख्य योजना के अनुसार भूमि उपयोग	जोन-ई की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग परिवर्तन	सीमाएं
जोन-ई में नियोजन में आए दिल्ली नगर निगम सामुदायिक भवन, नया जाफराबाद, सड़क सं.65 के नजदीक स्थल	1006	आवासीय	आवासीय	उपयोगिता (यू4-ठोस अपशिष्ट)	उत्तर: निकासी दक्षिण: जोन-ई की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार 45 मीटर मार्गाधिकार सड़क पूर्व: सामुदायिक भवन पश्चिम: पंपिंग स्टेशन

[फा. सं. के.-13011/6/2021-डीडी-I]

उपेंद्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2021

S.O. 3154(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 / Zonal Development Plan of Zone-E regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 60 (E) dated 07.01.2021 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections / suggestions received with regard to the proposed modification.

3. Whereas, the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021 / Zonal Development Plan of Zone-E.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 / Zonal Development Plan of Zone-E with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area of land falling in Zone-E is changed as per description listed below:

Location	Area (Sq.m.)	Land use as per MPD- 2021	Land use as per ZDP of Zone-E	Land use Changed to	Boundaries
Site near MCD Community Hall, New Zafraabad, Road No. 65 falling in Planning Zone-‘E’	1006	Residential	Residential	Utility (U4- Solid Waste)	North: Drain. South: 45 m. ROW road as per ZDP of Zone-E. East: Community Hall. West: Pumping Station

[F. No. K- 13011/6/2021-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.